संख्या-07/2017/1055/29-4-2017

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन,
लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

खाद्य एवं रसद अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक 05 अक्टूबर, 2017

विषय-खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत सुचारु रूप से धान क्रय के सम्बन्ध में।

महोदय,

खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान क्रय हेतु निर्गत समय सारिणी विषयक शासनादेश संख्या-02/2017/547/29-4-2017-5(5)/2017, दिनॉक 19-07-2017 एवं धान क्रय नीति सम्बन्धी शासनादेश संख्या-03/2017/802/29-4-2017-5(2)/2017, दिनांक 31-08-2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें। मण्डियों में धान की आवक एवं क्रय केन्द्रों पर धान खरीद प्रारम्भ हो गयी है। राज्य सरकार द्वारा किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए उनसे सीधे धान खरीद की व्यापक व्यवस्था करते हुए क्रय केन्द्र खोले गए हैं। इन क्रय केन्द्रों के माध्यम से कृषकों से सीधे धान क्रय कर उनके खाते में 72 घंटों के अंदर सीधे भुगतान की व्यवस्था की गई है। आप अवगत हैं कि क्रय केन्द्रों पर खरीदे गये धान को चावल मिलों में कस्टम हलिंग कराकर निर्मित चावल को केन्द्रीय पूल के अन्तर्गत भा0खा0नि0 के डिपो में सम्प्रदान किया जाता है। अतएव यह आवश्यक है कि क्रय केन्द्रों पर भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट गुणनिर्दिष्टियों के अनुरूप धान का क्रय हो। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि कृषकों को क्रय केन्द्र पर किसी तरह की असुविधा न हो।

अतः धान क्रय योजना से सम्बन्धित निम्नलिखित विन्दुओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाना सुनिश्चित करें:-

(1) धान क्रय में आढ़तियों अथवा किसी मध्यस्थ की कोई भूमिका नहीं है। धान का क्रय सीधे कृषकों से ही किया जायेगा। अतः कृषकों को बिचौलियों से दूर रहने हेतु स्पष्ट कर दिया जाय।

(2) कृषकों को धान का समर्थन मूल्य रू0 1550 प्रति कुं0 (कामन) एवं रू0 1590 प्रति कुं0 (ग्रेड-ए) की दर से देय होगा, जिसका भुगतान 72 घंटे के अन्दर सीधे उनके खाते में किया जायेगा। समर्थन मूल्य के अतिरिक्त किसानों को उतराई, छनाई/सफाई के लिए रू0 15 प्रति कुं0 की दर से उनके खाते में भुगतान किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in/

(3) धान क्रय के लिये कृषकों का ऑनलाइन पंजीकरण होगा। कृषक पंजीयन के समय जोत बही/खतौनी, फोटोयुक्त पहचान पत्र, बैंक की पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति एवं यथासम्भव आधार कार्ड साथ लायें। कृषक जन सुविधा केन्द्र या साइबर कैफे के माध्यम से विभाग के पोर्टल fcs.up.nic.in पर पंजीकरण करा सकेंगे। ऐसे कृषक जो अपना पंजीकरण ऑनलाइन नहीं करा सके हैं, धान क्रय केन्द्रों पर धान विक्रय के पूर्व उनका भी पंजीकरण कराना सुनिश्चित किया जाय।

(4) धान में नमी अधिकतम 17 प्रतिशत तक अनुमन्य है। अतः कृषकों को धान सुखाकर ही क्रय केन्द्र पर लाने हेतु निर्देश दिया जाय जिससे उसे तत्काल खरीदा जा सके तथा क्रय केन्द्र पर पहुँचने पर कृषक को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

(5) धान क्रय से सम्बन्धित शिकायतें/सुझाव टोल फ्री नं0-18001800150 पर दर्ज करायी जा सकती हैं।

उपर्युक्त निर्देशों का पर्याप्त प्रचार-प्रसार कराया जाय। ग्राम सभा की बैठकों में ग्राम प्रधान, ग्राम सभा के सदस्यों, लेखपालों, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास से सम्बन्धित अन्य अधिकारी तथा कृषि विभाग के अधिकारियों के सहयोग से तथा कृषक मेला, समाधान दिवसों पर भी धान क्रय के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाय। क्रय केन्द्रों के सतत निरीक्षण पर भी बल दिया जाय एवं क्रय केन्द्रों पर कर्मचारियों की उपस्थिति निरन्तर सुनिश्चित की जाय।

भवदीय

(राजीव कुमार)
मुख्य सचिव

संख्या-07/2017/1055(1)/29-4-2017 तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने हेतु अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें:-

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

(निवेदिता शुक्ला वर्मा)
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in/